



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1000]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 21, 2010/वैशाख 31, 1932

No. 1000]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 21, 2010/VAISAKHA 31, 1932

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मई, 2010

आय-कर

का.आ. 1210(अ).—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80इक की उप-धारा (4) के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, औद्योगिक पार्क स्कीम, 2008 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम औद्योगिक पार्क (संशोधन) स्कीम, 2010 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

2. औद्योगिक पार्क स्कीम, 2008 के पैरा 4 के खंड (1) में, "2009" अंकों के स्थान पर, "2011" अंक रखे जाएंगे।

3. औद्योगिक पार्क स्कीम, 2008 में प्ररूप आईपीएस-1 में, पैरा 3.6 के खंड (क) में, "2009" अंकों के स्थान पर, "2011" अंक रखे जाएंगे।

[अधिसूचना सं. 37/2010/फा. सं. 149/52/2010-एसओ(टीपीएल)]

विमल आनंद, अवर सचिव (टीपीएल-II)

टिप्पण :—मूल स्कीम, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 51(अ), तारीख 8 जनवरी, 2008 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. का.आ. 2813(अ), तारीख 28 नवम्बर, 2008 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st May, 2010

INCOME-TAX

S.O. 1210(E).—In exercise of the powers conferred by clause (iii) of sub-section (4) of Section 80-IA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby makes the following amendments to the Industrial Park Scheme, 2008, namely :—

1. (1) This Scheme may be called the Industrial Park (Amendment) Scheme, 2010.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Industrial Park Scheme, 2008, in para 4, in clause (1), for the figures "2009", the figures "2011" shall be substituted.

3. In the Industrial Park Scheme, 2008, in Form IPS-I, in para 3.VI, in clause (a), for the figures "2009", the figures "2011" shall be substituted.

[Notification No. 37/2010/F.No. 149/52/2010-SO(TPL)]

VIMAL ANAND, Under Secy. (TPL-II)

Note :—The Principal Scheme was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* Notification Number S.O. 51(E), dated the 8th January, 2008 and last amended *vide* Notification No. S.O. 2813(E), dated the 28th November, 2008.